मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 1059 / 1255 / 2011 / आ.प्र. / एक, भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:–सहारिया, भारिया और बैगा जनजाति समुदाय के लिए किए गए विशेष प्रावधान का पालन।

संदर्भ:–इस विभाग के निर्देश / परिपत्र क्र. एफ 6–1 / 2002 / आ.प्र. / एक, दिनांक 19.09.2002 अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2010.

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापनों का कृपया अवलोकन करें।

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1998 में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 6–1 / 2002 / आ.प्र. / एक, दिनांक 28.08.2002 द्वारा अंतःस्थापित नियम 4 (ख) के अनुसार आदिम जातियों के लिये विशेष सुविधा दी गई है तथा इसे अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2010 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि सहारिया, बैगा तथा भारिया, जनजाति के उम्मीदवारों को उक्त प्रावधान के अनुरूप नियुक्ति नहीं मिल पा रही है।

4/ अतः अनुरोध है कि उक्त जनजातियों के व्यक्तियों को इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2010 में दी गई विशेष सुविधा का लाभ देते हुए नियुक्ति प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(अरूण तिवारी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 1060/1255/11/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपिः—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. मंत्री/राज्य मंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
13. महालेखाकर, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाले।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

kiran 2011.doc

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2010—पौष 21, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-1-2002-आप्र.-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्,—

"4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध.—यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है, और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-1-2002-आर.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6-1-2002-आर.-एक, दिनांक 11 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

Bhopal, the 11th January 2010

No. F. 6-1-2002-RC-I.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 4-B, the following rule shall be substituted, namely :—

" 4-B **Special provisions for primitive tribes.**—If the applicant belongs to the Sahariya primitive tribe of districts Sheopur, Morena, Datia, Gwalior, Bhind, Shivpuri, Guna and Ashok Nagar, Baiga Primitive tribe of districts Mandala, Dindori, Shahdol, Umaria, Balaghat and Anuppur and Bhariya primitive tribe of Tamia block of district Chhindwara, applies for the post of Samvida Shala Shikshak or for any post of Class III/IV and possess the minimum prescribed qualification, then he shall be appointed on the said post without adopting the recruitment procedure."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AQUEELA HASHMAT, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.